

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/सामान्य/2009/ 1368

दिनांक 4/12/09

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

समस्त ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी

विषय :- स्वेच्छा से अनुपस्थित चिकित्सको की सूचना व उनके विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखा गया है, कि चिकित्सक स्वेच्छा से कर्तव्य से अनुपस्थित हो जाते हैं, किन्तु इसकी सूचना आप द्वारा समय पर निदेशालय को नहीं दी जाती है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आपको अनेक बार पत्र लिखे गये हैं तथा मिटींगो के दौरान भी निर्देश प्रदान किये गये हैं। अनुपस्थित चिकित्सको की सूचना के साथ ही आप द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भी समय पर नहीं भेजे जाते हैं, इसे राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देश प्रदान किये जाते हैं, कि आपके अधीन पदस्थापित चिकित्सको में से स्वेच्छा से अनुपस्थित चिकित्सको की सूचना व उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव/आरोप पत्रादि 15 दिवस में निदेशालय में भेजा जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी अनुपस्थित चिकित्सको के बारे में कार्यवाही करते हुए निदेशालय को समय पर सूचित करें।

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/सामान्य/2009/ 1368

दिनांक 4/12/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, एन.आर.एच.एम./आर.एच.एस.डी.पी.।
4. निदेशक, आर.सी.एच./एडस्/ई.एस.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
5. निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
7. प्रधानाचार्य, आर.एफ.पी.टी.सी., जयपुर/अजमेर।
8. अधीक्षक, के.एन. टी.बी. डी.टी.सी, अजमेर।
9. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर डाउनलोड किये जाने हेतु।

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर